पंजीकृत डाक द्वारा

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश,
"निर्माण भवन," प्रथम तल, प्लाट नं.27–28, अरेरा हिल्स, भोपाल(म.प्र.)
web site: www.mppwd.gov.in email:-sepwdadminenc@mp.nic.in
Phone- 0755-2551485, Fax- 2556527

क्रमांक 303/034/2008/पार्ट–ए/137 भोपाल, दिनांक 28/01/2017

//आदेश//

पी.ई.बी.,भोपाल द्वारा विभाग में उपयंत्री(वि/यां.) के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में निम्नांकित चयनित उम्मीदवार को मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम–1972 (संशोधन सहित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विभाग में उपयंत्री (वि/यां.) के पद पर वेतनमान –PB-2-₹ 9300–34800+Grade Pay₹ 3200/–में शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महगाई भत्ते सहित अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन स्थानापन्न रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

स. क्र	वर्ग	उम्मीदवार का नाम एवं पिता का नाम	नियुक्ति पश्चात प्रथम पदस्थगी स्थान का नाम	संयुक्त वरिष्ठता क्र.
1	2	3	4	5
1	अनारक्षित/भू.पू.सै.	श्री सुनील कुमार चौहान आत्मज श्री के.एस.चौहान	कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग,म.प्र.भोपाल	56
2	अनु. जनजाति/महिला	सुश्री सुकृती टेकाम आत्मज जसवंत लाल टेकाम	कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग,म.प्र.भोपाल	52
3	अनारक्षित/भू.पू.सै.	श्री नीरज कुमार मिश्रा आत्मज श्री रामजी मिश्रा	कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग,म.प्र.भोपाल	40

<u>शर्ते निम्नानुसार है :–</u>

1. उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की आपसी वरिष्ठता पी.ई.बी. द्वारा चयन क्रम के अनुसार रहेगी।
2. अभ्यर्थी को संपूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
3. उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम, 1972 के अध्यधीन होंगे। सेवा संबंधी अन्य मुदद् नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्यधीन रहेंगे।
4. मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम, 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज् में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

Sd/-

5. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
6. अभ्यर्थी को पदस्थगी स्थान पर अपनी उपस्थिति सूचना के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण–पत्र एवं निःशक्तजनों के लिए निःशक्तता प्रमाण–पत्र मूल एवं उनकी सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत कर समस्त मूल प्रमाण–पत्रों से मिलान करवाना होगा।
7. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में भविष्य में असत्य अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटी पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी एवं संबंधित के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
8. अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि में सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
9. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिनों के अंदर अपने पदस्थगी स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
10. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित पेंशन अंशदान प्रणाली लागू होगी।
11. अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र अपने निकटस्थ अधिकारी को भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा संबंधित अधिकारी उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवायेगा। यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट अभ्यर्थी के विरूद्ध पायी जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

प्रमाणित किया जाता है,कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

(अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश,
भोपाल दिनांक 28/01/2017

पृ. कमांक 303/034/2008/पार्ट–ए/138
प्रतिलिपि :–
1. निज सचिव,माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश भोपाल
2. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग,मंत्रालय,भोपाल
3. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय,मध्यप्रदेश,भोपाल
4. नियंत्रक,मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल,भोपाल
5. परियोजना संचालक, पी.आई.यू. लो.नि.वि.म.प्र.भोपाल
6. समस्त मुख्य अभियंता,लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश
7. अधीक्षण यंत्री,लोक निर्माण विभाग,वि/यां.मंडल,भोपाल
8. अधीक्षण यंत्री(आई.टी.सेल)कार्या.प्रमुख अभियंता,लो.नि.वि..भोपाल की ओर आदेश अपलोड करने हेतु।
9. संचालक, सैनिक कल्याण, गुरूतेग बहादुर काम्पलेक्स, पोस्ट बाक्स नं 364, टी.टी.नगर, भोपाल–03
10. कोषालय अधिकारी,जिला कोषालय, भोपाल
11. लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निर्देशित किया जाता है,कि नवनियुक्त उपयंत्री की उपस्थिति के समय नियमानुसार समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करें एवं शीघ्र सारे दस्तावेज तैयार कराएँ।

12. अपर जिला दण्डाधिकारी, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला अनूपपुर की ओर उनके पत्र क्र. 7113/रीडर--डीएम/जाति सत्यापन/16, दिनांक 25 नवम्बर 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
13. वरिष्ठ निज सहायक,प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश,भोपाल
14. स्थापना शीर्ष–302/304/305 कार्यालय प्रमुख अभियंता,लो.नि.वि.,भोपाल
15. श्री सुनील कुमार चौहान, आत्मज श्री के.एस.चौहान,चौहान भवन, जडेरूआकला,न्यू राम विहार कॉलोनी, ग्वालियर–474006
16. सुश्री सुकृती टेकाम, आत्मज जसवंत लाल टेकाम वार्ड नं.–6 बिहाइंड सरस्वती शिशु मंदिर डिण्डोरी डिण्डोरी 481880
17. श्री नीरज कुमार मिश्रा आत्मज श्री रामजी मिश्रा 8/809 नियर मिश्रा आटा चक्की, आनंद नगर, बोडाबाग हुजूर पिन–486001

की ओर सूचनार्थ। कृपया अपनी उपस्थिति संबंधित कार्यालय में दे।

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश